

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

सपखण्ड अधिकारी  
राजगढ़ (घरू)

मुकाम

शुभराम

बनाम सरकार

मुकदमा

प्राथम्य

नं. 253/19

सन्

क्र. सं.	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
28/19	आज यह प्रार्थना पत्र अदालत चार 136 L.R.A. का कार्यालय रिपोर्ट होकर (पेश हुआ) अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। लहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 29.8.19 को पेश हो।	
29/19	वकूलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. को पेश हैं मिसल दिनांक 26.9.19 को पेश हो।	
26/19	वकूलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब स्थानान्तरण पर पधार चुके हैं। मिसल दिनांक 11-10-19 को पेश हो।	
11/19	वकूलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब स्थानान्तरण पर पधार चुके हैं। मिसल दिनांक 13-11-19 को पेश हो।	
13/19	वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 26.12.19 को पेश हो।	
26/19	वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 10.2.20 को पेश हो।	
10/20	वकील प्रार्थी उपस्थित। लहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त। शामिल मिसल है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अशुद्ध दर्ज होना कथन करते हुए नाम	

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही विवरण

नम्बर  
अहका  
हुकम व  
में जा

शुरू करनेको अनुमोद चहा है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में  
 लहसीलदार से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार मिलान बन्दी बात  
 सम्वत् 2062 से लेकर आदिनांक बती जमाबन्दी में किसी प्रकार  
 की कोई अशुद्धि नहीं होने दर्ज किया है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज  
 पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अशुद्धि  
 दौरान संपल में हुई हो। विवादित कृषि भूमी की जमाबन्दी में प्रार्थी  
 का नाम <sup>अशुद्धि</sup> किस प्रकार दर्ज हुआ, के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज  
 पेश नहीं किया गया है। अरोक्त निवेदन के अनुसार प्रार्थी  
 का यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा  
 136 के तहत पौबवीप नहीं होने से स्वीकार किया जाने योग्य  
 नहीं है। प्रार्थी-कोटेजके अनुमोद के लिए अग्र का नूनी विकल्पों  
 के प्रयोग हेतु स्वतंत्र है।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र संचालीप नहीं होने  
 से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिलान ईतल शुमार  
 हो का याखिल दफ्तर हो।

उपसखण्ड अधिकारी  
 राजसूद (सूद)

उपसखण्ड अधिकारी  
 राजसूद (सूद)  
 राजसूद (सूद)  
 राजसूद (सूद)